

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in, website:buhs.ac.in

सूचना सं.-सं.ब.-6019/2023-1516/

पटना, दिनांक-03/09/2026

सत्र-2026-27 के संबद्धता संबंधी आवश्यक सूचना

बिहार राज्य अंतर्गत संचालित/विद्यमान सभी गैर-सरकारी चिकित्सा/दंत/आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक/यूनानी/फार्मसी/नर्सिंग/पारामेडिकल एवं स्वास्थ्य विज्ञान प्रक्षेत्र के अन्य ऐसे महाविद्यालय/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स सत्र-2026-27 हेतु संबद्धता के अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) एवं सत्र-2026-27 के लिए नयी संबद्धता (Fresh Affiliation) प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक-09.09.2026 से दिनांक-25.09.2026 तक विश्वविद्यालय में प्राप्त किया जाएगा।

2. सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की संबद्धता की अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) हेतु आवेदन प्रपत्र की साफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.buhs.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है तथा इसे कम्प्यूटर से टंकित कराकर विश्वविद्यालय में सभी अनुलग्नकों एवं निर्धारित शुल्क सहित दिनांक-09.09.2026 से दिनांक-25.09.2026 तक जमा किया जा सकता है। प्रत्येक कोर्स हेतु संबंधित संस्थान द्वारा अलग-अलग फार्म भरा जायेगा अर्थात् एक कोर्स के लिए एक फार्म तथा शुल्क तालिका के क्रम संख्या-10, 11 एवं 12 पर अंकित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा।

3. सत्र 2026-27 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की नयी संबद्धता (Fresh Affiliation) हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) "Bihar University of Health Sciences, Patna-Affiliation Fund" के पक्ष में भुगतये रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (Payable at Patna) विश्वविद्यालय में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक 25.09.2026 तक भरा हुआ आवेदन पत्र (Application Form) प्रत्येक कोर्स हेतु संबंधित संस्थान द्वारा अलग-अलग फार्म भरकर अर्थात् एक कोर्स हेतु एक फार्म भरकर विश्वविद्यालय में आवश्यक कागजातों एवं शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है।

4. सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि ससमय संबद्धता अवधि विस्तार संबंधी आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में उक्त सत्र की संबद्धता से वंचित होने की सारी जबाबदेही संबंधित संस्थान/महाविद्यालय की होगी।

इस संबंध में अद्यतन सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.buhs.ac.in के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।


(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना